रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 1975/श्रावण 20, 1897
No. 160] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 1975/SRAVANA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th August 1975

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1975—March,1976. (Amendment)*

No. 86-ITC (PN)/75.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21—ITC(PN)/75 dated the 7th April, 1975.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II).	Reference	Amendment
1	2	3
115	A. 157·2 Col. 4	The description of Slot cutters given in item (d) may be corrected to read as under :— "Slot Cutters (range of cutters) diameter 8 mm to 88 mm and cutting thickness 0·11 mm to 0·6 mm". (The face value restriction remains the same.)

1	2	3
140	B. 62·4 Col. 5	The existing remark (2) may be amended to read as under :— "Import of 'Treated Polyester Yarn / Cord' may be allowed against export of 'V and Fan Belts'."
140-141	B. 62·6 Col. 4	(i) The existing entry at (c) may be amended to read as under :— "(c) Ultrasil VN3/Zeolex 15/Zeolex 23". (ii) The existing description of item (h) may be amended to read as under :— "Plasticizers (other than Phthalate type) Softners and Lubricants". (iii) The following items may be added in the shopping list :— "(x) Rohac Thiuram P. 25. (y) Aquarea 'D'. (z) Maglite 'D' Bar."
193	No. 1 Col.4 No. 2 Col. 4	The existing face value restriction of 10% against the item "Sodium Nitrite" at (b) (ii) may be amended to read as "1%." The existing face value restriction of 10% against the item "Sodium Nitrite" at (b) (i) may be amended to read as "1%".

3. The following items may be deemed to have been inserted alphabetically in Section IV-Classification of Export Products of the Red Book (Vol. II) for 1975-76 :—

A. Engineering Goods.

1. Tungsten Electrical Filament Wires in coils	A. 66·1
2. Copper Strips (Not in the cast form)	A. 66·1
3. Boring Bars	A. 101·1
4. Diamond dies	A. 106·5
5. Fuel Injection Equipment and parts thereof	A. 116·1(b)
6. Ash/Dust handling/Disposal Plant & Equipment	A. 129·1
7. Electrical Horns (Battery operated)	A. 136·10

B. Chemicals and Allied Products.

Empty Match Boxes with labels printed on paper	B. 56·3

D. Leather and Leather Goods.

Buffalow (Bark tanned) Sole leather	D.1·1

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

विषय :—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन)।

सं० : 86-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 21—आई०टी०सी० (पी एन)/75, दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत अप्रैल, 1975—मार्च,

1976 के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 2) में यथा निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उचित स्थानों पर किए जाएं :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3
115	ए०157.2 कालम—4	मद (डी) में दिए गए स्लाट कटर्स के विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:— "स्लाट कटर्स (कटर्स की रेंज) व्यास 8 मि० मी० 88 मि० मी० और कटिंग सघनता 0.11 मि० मी० से 0.60 मि० मी० ।" (अंकित मूल्य प्रतिबन्ध वही है) ।
140	बी. 62.4 कालम 5	विद्यमान अभ्युक्ति (2) निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाए :— "ट्रीटिड पलिस्टर यार्न/कोर्ड के आयात की अनुमति "वी तथा फन बेल्टस" के निर्यात के प्रति दी जाएगी ।"
140—141	बी. 62.6 कालम 4	(1) (सी) पर विद्यमान प्रविष्टि संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएं :— "(सी) अल्ट्रासिल वी एन 3/ ज्योलेक्स 15/ज्योलेक्स 23." (2) मद (एच) के विद्यमान विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए :— "प्लास्टिसाइजर्स (पथैलेट किस्म से भिन्न) मुदुकर और स्नेहक ।" (3) निम्नलिखित मदें शापिंग सूची में जोड़ी जाएं :— "(एक्स) राहेक थुर्मोरम पी. 25 (बाई) एक्सारिया "डी" (जेड) मेग लाइट 'डी' बार ।"
193	एन. 1 कालम 4	(बी) (2) पर मद "सोडियम नाइट्रेट" के सामने 10 प्रतिशत के अंकित मूल्य प्रतिबन्ध को संशोधित करके "1 प्रतिशत" पढ़ा जाए ।
	एन. 2 कालम 4	(बी) (1) पर मद "सोडियम नाइट्रेट" के सामने 10 प्रतिशत के अंकित मूल्य प्रतिबन्ध को संशोधित कर "1 प्रतिशत" के रूप में पढ़ा जाए ।

3. निम्नलिखित मदें 1975-76 की रैंड बुक (वा० 2) के खंड 4—निर्यात उत्पाद वर्गीकरण में वर्णक्रमानुसार निविष्ट की गई समझी जाएं :—

ए. इंजीनियरी माल :

1. टंग्स्टन विद्युतीय तन्तुतार, गुच्छों में	ए. 66. 1
2. तांबे की पट्टियां (छलवां शक्ल में नहीं)	ए. 66. 1
3. बेधन छड़ें	ए. 101. 1
4. हीरक डाईज	ए. 106. 5
5. ईंधन अन्तःक्षेप्य उपस्कर और उनके पुर्जे	ए. 116. 1(बी)
6. राख / धूल / निस्तारण संयंत्र और उपस्कर	ए. 129. 1
7. विद्युतीय हार्न (बैटरी चालित)	ए. 136. 10

बी. रासायनिक तथा संबंध उत्पाद :

कागज पर मुद्रित लेबल के साथ खाली माचिस डिब्बियां	बी. 56. 3

डी. चमड़ा और चमड़े का माल :

भैंस का (छाल शोधित) तलवे का चमड़ा	डी. 1. 1

बी० डी० कुमार
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975